न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/1133/2001/नागौर</u>

1– मंदिर श्री महादेव जी आसन कोड जरिए पुजारी हनुमाननाथ पुत्र छगननाथ जरिए वारिसानः–

1/1– सोनीदेवी पत्नी हनुमाननाथ

1/2– धर्मेन्द्रनाथ पुत्र हनुमाननाथ

1/3– सुखवीर पुत्र हनुमाननाथ

1/4– सूर्यकुमारी पुत्री हनुमाननाथ

1/5– सुमित्रा कुमारी पुत्री हनुमाननाथ

2– शंकरनाथ पुत्र बालूनाथ मृतक जरिए वारिसानः–

2/1– भोलानाथ पुत्र शंकरनाथ

2/2– गैननाथ पुत्र शंकरनाथ

समस्त जाति नाथ निवासी ग्राम एहवाद तहसील जायल जिला नागौर।

3– केयला पत्नी गीगानाथ मृतक जरिए वारिसानः–

3/1– प्रेमानाथ पुत्र गीगानाथ जाति नाथ निवासी ग्राम खियाला तहसील जायल जिला नागौर।

4– भूरी पत्नी बोदूनाथ जाति नाथ निवासी कालवा तहसील जायल जिला नागौर।

5– चूंकी पत्नी छगननाथ जाति नाथ निवासी कोड तहसील डेगाना जिला नागौर।

6– मु0 रूकमा पत्नी भंवरनाथ जाति नाथ निवासी डेह तहसील व जिला नागौर।

–अपीलांटस

बनाम

1– मांगू उर्फ मांगूराम पुत्र श्रीराम मृतक जरिए वारिसानः–

1/1– हरलाल पुत्र मांगू उर्फ मांगूराम (लाऔलाद फौत)

1/2– पूसाराम पुत्र मांगू मृतक जरिए वारिसानः–

1/2/1– रामचन्द्र पुत्र पूसाराम

1/2/2– तुलछीराम पुत्र पूसाराम

1/2/3– नाथूराम पुत्र पूसाराम

1/2/4– चैनाराम पुत्र पूसाराम

1/2/5– भंवरदेवी बेवा पूसाराम

2– हरलाल पुत्र मांगीलाल (मृतक नाम तर्क)

3– उगमाराम पुत्र सुगनाराम मृतक जरिए वारिसानः–

3/1– प्रकाश पूनिया पुत्र उगमाराम

3/2– बदामी देवी पत्नी उगमाराम

समस्त निवासी कोड तहसील डेगाना जिला नागौर।

3/3– अंजुदेवी पुत्री उगमाराम पत्नी नाथूराम धायल निवासी जडाऊ तहसील रियांबडी जिला नागौर।

4– जीवणराम पुत्र सुगनाराम

5– लिछमणराम पुत्र सुगनाराम

समस्त निवासी कोड तहसील डेगाना जिला नागौर।

6– अमरचंद पुत्र मूलाराम मृतक जरिए वारिसानः–

6/1– दीपाराम पुत्र अमरचंद

6/2– महेन्द्र पुत्र अमरचंद

समस्त जाति जाट निवासी कोठिया मोड तहसील रियांबडी जिला नागौर।

7– हेमाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी दुगस्ताउ तहसील जायल जिला नागौर।

–रेस्पोडेंटस

उपस्थितः–

श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलांटस
श्री वी0एस0 राठौड़, अधिवक्ता रेस्पो0

खण्डपीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

निर्णय

दिनांकः— 29.10.2025

अपीलांटस द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या 4/94 बउनवानी मांगू व अन्य बनाम तीजणी व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.01.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं ।

2— अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मु0 तीजणी बेवा बालूनाथ ने एक राजस्व वाद न्यायालय सहायक कलक्टर, डेगाना के समक्ष इस आशय का पेश किया कि मंदिर श्री महादेव जी महाराज विराजमान आसन कोड में है जिनकी माफी खुद काश्त की आराजी खसरा संख्या 101 रकबा 73 बीघा 13 बिस्वा ग्राम कोड तहसील डेगाना में अवस्थित है। मंदिर श्री महादेव जी के मंदिर की सेवा पूजा उसके पिता चतरूनाथ करते थे, चतरूनाथ के वादिया एवं अन्य पुत्रियों के साथ एक पुत्र भैरूनाथ था, जो चतरूनाथ की मौजूदगी में ही गांव छोड़कर अन्य गांव में आबाद हो गया एवं मंदिर की सेवा पूजा वादिया के जिम्मे रही। विवादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 101 रकबा 73 बीघा 13 बिस्वा वादी मंदिर की थी जिसको भैरूनाथ ने अपने नाम दर्ज करा ली एवं आगे चलकर भैरूनाथ ने पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा अमरचंद एवं हेमाराम को दिनांक 09.05.67 को हस्तांतरण कर दी, जिन्होंने आगे चलकर रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 को विक्रय कर दी। भैरूनाथ को मंदिर श्री महादेव की भूमि को हस्तांतरण का अधिकार नहीं था, यह हस्तांतरण मूलतः शून्य है। विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 ने नामांतकरण अपने नाम स्वीकृत करवा लिया, जिससे सीधा प्रभाव मंदिर श्री महादेव पर पड़ा। साथ ही इस विक्रय पत्र का आधार लेकर वादी को बेदखल कर कब्जा ले लिया, जो वाद प्रस्तुत करने का कारण बना। उक्त आशय का वाद पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर वाद में उठाए गए कथनों से इंकार किया तथा वाद खारिज किए जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.94 द्वारा वादीगण का वाद डिक्री करते हुए प्रतिवादीगण को विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की डिक्री जारी की। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रथम अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष पेश की गई। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.12.94 द्वारा स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया। जिससे व्यथित होकर अपीलांटस ने माननीय मण्डल न्यायालय के समक्ष अपील पेश की, जिसे माननीय मण्डल न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.09.99 द्वारा स्वीकार करते हुए अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर अपील में पुनः निर्णय पारित करने हेतु अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। तत्पश्चात् न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.01.2001 द्वारा रेस्पो0 की अपील को स्वीकार करते हुए विचारण न्याायलय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांटस ने यह द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4— विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। बहस में आगे तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अभिकथनों के आधार पर कुल 11 तनकीयात कायम की थी, विचारण न्यायालय ने इन सभी तनकीयों पर अपना निर्णय दिया किन्तु अपीलीय न्यायालय ने एक भी तनकी पर अपना निर्णय नहीं दिया बल्कि विवादग्रस्त भूमि भैरूनाथ की खातेदारी की भूमि मानकर उसके द्वारा किए गए विक्रय पत्र को सही मानते हुए रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 को खातेदार माना जबकि अपीलीय न्यायालय अपने निर्णय में यह भी मान रहे हैं कि विवादग्रस्त भूमि माफी मंदिर श्री महादेव की संपत्ति व भूमि रही है जो परस्पर विरोधाभासी निष्कर्ष है । वादीया के पिता एवं भैरूनाथ के पिता मंदिर के पुजारी रहे हैं तथा इस तथ्य को रेस्पो0 ने अस्वीकार नहीं किया है। विवादग्रस्त भूमि माफी मंदिर श्री महादेव महाराज अपीलांटस संख्या 1 की होना भी माना है तथा यह भी माना है कि विवादग्रस्त भूमि माफी मंदिर श्री महादेव की रही है एवं उसके पुजारी स्वयं काश्त करते है तो वह भूमि भी मंदिर की तरफ से काश्त मानी जावेगी न कि पुजारी की । यदि भैरूनाथ मंदिर का टीनेन्ट होता तो वह केवल खातेदार ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता न कि विवादग्रस्त भूमि उसकी खुदकाश्त दर्ज की जाती। यदि विवादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में खुदकाश्त दर्ज है तो वह अपीलांटस संख्या 1 की मानी

जावेगी तथा भैरूनाथ द्वारा मंदिर की भूमि का विक्रय किया गया है वह शून्य है। रेस्पो0 को इस विक्रय पत्र दिनांक 09.05.67 से कोई हक व अधिकार हासिल नहीं होते है, इस विक्रय पत्र को आधार मानकर अपीलीय न्यायालय ने अपील स्वीकार किए जाने में त्रुटि कारित की है। भैरूनाथ के द्वारा किया गया बैचान सही नहीं होने तथा अवैध होने से रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 व मूलाराम वगैरह को कोई अधिकार हासिल नहीं हुए। ऐसी स्थिति में वादीगण विवादग्रस्त भूमि के खुदकाश्त होने से रेस्पो0 को बेदखल कराने के अधिकारी थे, इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलीय न्यायालय ने निर्णय पारित किए जाने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश 41 नियम 31 के विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.01.2001 को निरस्त किया जावें तथा न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.94 को यथावत् रखा जावें।

5— विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में निवेदन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । बहस में आगे तर्क दिया कि विवादित आराजी माफीदारी की जागीर थी, 1967 में जागीर पुर्नग्रहण हो गई, खुदकाश्त निजी स्त्रोत होती तो यह भूमि सीर के रूप में सेटलमेंट रिकार्ड में दर्ज की जाती। राज0काश्त0अधि0 के प्रभावशील होने पर यह भूमि जागीर एक्ट से ही गर्वन हो गई एवं वार्षिक रजिस्टर में खुदकाश्त दर्ज हो तो खुद काश्त मानी जावेगी। धारा 9 जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम के अनुसार इस प्रकार की भूमि के खातेदार खुदकाश्त कर्ता हो जाएंगें, चाहे इसे बापीदार, खड़मदार अथवा अन्य किसी नाम से जाना जाता हो। धारा 10 के अनुसार अपीलांटस खुदकाश्त जागीरदार होने के कारण खातेदार होगें तथा धारा 14 के अनुसार खुदकाश्त भूमि आवंटन करवाने के लिए जागीरदार अथवा खुद काश्तकार को जिला कलक्टर के यहां प्रार्थना पत्र भूमि आवंटन हेतु देना होगा, मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट की धारा 8 के अनुसार अगर अपीलांटस का कब्जा होता तो वह स्वयं को खातेदार घोषित करवाते परंतु विवादित आराजी पर टिनेन्ट काश्तकार भैरूनाथ था, इसलिए भैरूनाथ को विवादित आराजी का खातेदार दर्ज कर दिया गया तथा अपीलांटस के द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति भी इस अंकन के विरूद्ध आज तक नहीं की गई। जागीर पुर्नग्रहण के पश्चात् यह भूमि भैरूनाथ

की खुदकाश्त की रही तथा भैरूनाथ को विवादित आराजी का खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया था। संवत् 2015–17 में भी यह भूमि मंदिर की खुदकाश्त की नहीं रही है। मु. तीजणी का नाम संवत् 2018–19 की खतौनी में दर्ज किया गया है परंतु इससे पूर्व विवादित आराजी के खातेदारी हक भैरूनाथ को प्रदत्त किए जा चुके है। इस प्रकार वादिया विवादित आराजी की खातेदार एवं काश्तकार किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं होती है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण किए बिना ही निर्णय पारित किया था जिसे निरस्त कर अपीलीय न्यायालय ने विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है, जो उचित निर्णय है। अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में 1987 आरआरडी पेज 261, 1991 आरआरडी पेज 6 एचसी, 1996 आरआरडी पेज 535 एससी, 2000 आरआरडी पेज 14 एवं 109 एचसी, 2001 आरबीजे पेज 19 एचसी, 2015 आरआरटी पेज 868 एचसी आदि के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए। जिनका ससम्मान अध्ययन किया गया ।

6– हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता जिला नागौर के समक्ष तीजणी जौजे कालूनाथ कौम नाथ साकिन कोड, तहसील डेगाना जिला नागौर द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि मंदिर श्री महादेव जी महाराज विराजमान आसन कोड है जिनकी माफी खुद काश्त की आराजी खसरा नंबर 101 रकबा 73 बीघा 13 बिस्वा ग्राम कोड तहसील डेगाना में अवस्थित है । मंदिर श्री महादेव जी की सेवा–पूजा उसके पिता चतरूनाथ करते थे । चतरूनाथ जी की के वादीया एवं अन्य पुत्रीयों के साथ एक पुत्र भैरूनाथ भी था जो चतरूनाथ जी की मौजूदगी में ही गांव छोड़कर अन्य गांव में आबाद हो गया एवं मंदिर की सेवा–पूजा वादीया तीजणी के जिम्मे ही रही । विवादित आराजी खसरा नंबर 101 रकबा 73 बीघा 13 बिस्वा वादी मंदिर की थी जिसको भैरूनाथ ने अपने नाम दर्ज करा ली एवं आगे चलकर भैरूनाथ ने पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा अमरचंद एवं हेमाराम को दिनांक 09.05.1967 को हस्तातंरित कर दी जिन्होंने

आगे चलकर रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5/प्रतिवादीगण को विक्रय कर दी । भैरूनाथ को मंदिर श्री महादेवजी की भूमि को हस्तातंरण करने का अधिकार नहीं था । यह हस्तातंरण मुलतः शून्य है विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5/प्रतिवादी ने नामांतकरण अपने नाम स्वीकृत करवा लिया जिससे सीधा प्रभाव मंदिर श्री महादेवजी पर पड़ा है, साथ ही इस विक्रय पत्र का आधार लेकर वादी को बेदखल कर कब्जा ले लिया है । अतः वाद स्वीकार कर वादीया का वाद डिक्री किया जावे । विचारण न्यायालय ने वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर वाद कथनों से इंकार करते हुए वाद खारिज करने का कथन किया । विचारण न्यायालय ने वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर कुल 11 तनकीयात कायम की । तत्पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनकर, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में निर्णय दिनांक 08.06.1994 के द्वारा वादीया का वाद स्वीकार कर आदेश पारित किये कि– **''चूंकि तनकी संख्या 1 से 10 बहक वादी मूर्ति मंदिर महादेव कोड विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है । इसलिये दादरसी बहक वादी मूर्ति विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि खसरा नंबर 101 रकबा 73 बीघा 13 बिस्वा मौजा कोड, तहसील डेगाना वादी मूर्ति डोली बनाम आसण की श्री महादेव जी वाके कोड की खातेदारी की है । प्रतिवादी नं0 5 भैरूनाथ द्वारा किया गया बैचान दिनांक 09.05.1967 बेअसर है । वादीनी तीजणी फौत हो चुकी है इसलिये वादी मूर्ति जरिये मौजूदा (वर्तमान) पुजारी कब्जा करने के अधिकारी है । प्रतिवादीगण को खसरा नंबर 101 रकबा 73 बीघा 13 बिस्वा से बेदखल किया जाता है ।''**

8– विचारण न्यायालय ने वादीया का वाद इस आधार पर डिक्री किया है कि एक्जी0 1 लगान पर्चा श्री मंदिर मूर्ति के नाम है । लगान रसीद एक्जी 3 व 4 वादीनी के नाम है इससे स्पष्ट है कि विवादग्रस्त आराजी मंदिर मूर्ति श्री महादेवजी की खातेदारी की है । इसी प्रकार प्रतिवादी द्वारा विवादग्रस्त आराजी भैरूनाथ द्वारा बैचान से जरिये एक्जी0–4 द्वारा करना बताया गया है किन्तु विक्रेता भैरूनाथ स्वंय ने अपने बयानों में विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 2 व घीसूखां द्वारा धोखे से करवाया जाना बताया है तथा कब्जा काश्त व भूमि मंदिर मूर्ति श्री महादेवजी की होना बताया साथ ही तीजणी को पुजारीन होना स्वीकार किया है । विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट रूप से अंकित

किया है कि राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 46 के तहत मूर्ति की भूमि पर पुजारी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है । मूर्ति मंदिर का पुजारी चाहे कोई भी रहा हो । अगर भैरूनाथ उपकाश्तकार रहा भी हो तथा उसे खातेदारी अधिकार गलत दिये गये और उसके द्वारा किया गया बैचान दिनांक 09.05. 1967 भी गलत एवं कानून के विपरीत है । इसके विपरीत प्रतिपक्ष के गवाह भैरूनाथ की कब्जा काश्त खातेदारी खुदकाश्त की बताते है जिसकी किसी रिकार्ड द्वारा पुष्टि नहीं होती है । हम विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष से भी सहमत है कि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी को कोई अधिकार नहीं मिलते है । मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जिसकी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को विधिनुसार खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं होते है । विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों, गवाहों के बयानों का स्पष्ट प्रत्येक तनकी पर अपना विवेचन देते हुए वादीया का वाद डिक्री किया था जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो0/अपीलांटस की अपील अपने निर्णय दिनांक 03.01.2001 के द्वारा स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.06. 1994 को केवल मात्र इस आधार पर निरस्त किया है कि वादीनी तीजणी विवादित आराजियात की राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रभावशील होने के समय टीनेन्ट अथवा सबटिनेन्ट नहीं रही है । वादीनी श्रीमती तीजणी जागीर पुर्नग्रहण के समय भी विवादित आराजी की खुद काश्त प्रमाणित नहीं होती है ।

9— दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री के क्रम में हमनें पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा गवाहों के बयानों का अवलोकन किया । संपूर्ण प्रकरण के तथ्यों के अवलोकन एवं खतौनी जमाबंदी संवत् 2008 से 2027 के कॉलम नंबर 3 में दर्ज इंद्राजात के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि विवादित भूमि डोली बनाम आसण श्री महादेवजी वाके देह पुजारी भैरूनाथ वल्द चतुरनाथ कौम नाथ देह पुजारी का अंकन होकर कॉलम संख्या 4 में खुदकाश्त का अंकन है । जमाबंदी संवत् संवत् 2008 के उक्त अंकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि मंदिर मूर्ति श्री महादेवजी की खुदकाश्त की भूमि है। माननीय विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार मूर्ति मंदिर को शाश्वत नाबालिग माना गया है तथा मंदिर मूर्ति की जमीन पर यदि पुजारी का नाम अंकित भी कर दिया गया है तो उससे उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि विवादित आराजियात मंदिर के पुजारी चतुरनाथ के वारिस भैरूनाथ

के नाम दर्ज हुई तथा जिसके द्वारा विवादित भूमि का बैचान किया गया है जो भी प्रारंभ से शून्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 46 के तहत मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जिसकी जमीन का बैचान किसी को भी नहीं किया जा सकता है । इसके बावजूद प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर रेस्पो0/प्रतिवादीगण की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.1994 को निरस्त करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है जिसे विधिसम्मत् निर्णय नहीं माना जा सकता है । जहां तक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का प्रश्न है उक्त दृस्टांत हस्तगत प्रकरण पर तत्समान रूप से चस्पा नहीं होते है ।

10— परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2001 निरस्त किया जाता है तथा सहायक कलक्टर, डेगाना द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.1994 वादीया को कब्जा दिये जाने की हद तक निरस्त किया जाता है । साथ ही न्यायहित में धारा 221 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसीलदार, डेगाना को निर्देश दिये जाते है कि वे विवादित भूमि को मुताबिक जमाबंदी संवत् 2008 से 2027 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में मंदिर मूर्ति श्री महादेव जी के नाम दर्ज कर कब्जा प्राप्त करे । तथा सक्षम न्यायालय से मंदिर के पुजारी की नियुक्ति करवाने की कार्यवाही करे, तब तक तहसीलदार देवस्थान विभाग के माध्यम से विवादित भूमि से प्राप्त आय से मंदिर की सेवा—पूजा की व्यवस्था करावें ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष